

गजानन नारायण पाटिल और अन्य

बनाम

दत्तात्रेय वामन पाटिल और अन्य,

20 फरवरी, 1990

(बी.सी. रे, कुलदीप सिंह एवं आर.एम. सहाय जेजे)

महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960- धारा 27 और 731 डी, सपठित नियम 57 ए और सोसायटी की उपविधि - क्या वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्ति और सहयोजित तकनीकी निदेशक वोट देने और विशेष बैठक में भाग लेने के हकदार हैं?

अपीकर्ता संजय सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड चुने हुए निदेशक ने एक मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए और प्रत्यर्थी संयुक्त निदेशक और संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र राज्य को प्रेषित कर कारखाना समिति की एक विशेष बैठक बुलाने का निवेदन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या-1, कारखाना समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुरोध किया। अनुरोध पत्र पर महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 731 डी के खण्ड-2 के प्रावधानों के अनुसार कुल संख्या में से एक तिहाई से अधिक लोगों ने मांग पर हस्ताक्षर किये गये। अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी संख्या-3 ने

कारखाना समिति के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.09.1989 को विशेष बैठक बुलाने के लिए नोटिस दिनांकित 13.09.1989 जारी किया गया। उक्त नोटिस केवल निर्वाचित सदस्यों को जारी किया गया था। वित्तीय निकायों के नामित सदस्यों का या सहयोजित सदस्य को नोटिस नहीं भेजा गया। प्रत्यर्थी नम्बर-1 द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा सहयोजित सदस्यों और वित्तीय संस्थानों के नामांकित सदस्यों को नोटिस जारी नहीं किये जाने के कृत्य को चुनौती दी गई। उनके अनुसार जो सदस्य अधिनियम की धारा 731 डी के अन्तर्गत अविश्वास मत पर विचार करने के दौरान समिति की विशेष बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 731 डी सपठित नियम 57 ए और उपविधि के उपनियम संख्या-29 पर विचार करते हुए रिट याचिका की अनुमति यह प्रतिपादित करते हुए दी कि दूसरी श्रेणी के जिन तीन सदस्यों को जिन्हें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव की बैठक के अतिरिक्त वोट देने का सीमित अधिकार प्राप्त है, विशेष बैठक का नोटिस प्रेषित किये जाने एवं उक्त बैठक में भाग लेने के हकदार है और चूंकि वित्तीय संस्थानों के दो नामांकित व्यक्तियों और विशेषज्ञ सहयोजित सदस्यों को अपेक्षित मीटिंग का नोटिस तामिल नहीं किया गया था तो, अपेक्षित मीटिंग आयोजित नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार, प्रत्यर्थी संख्या-3 को मीटिंग आयोजित करने से पूर्व निर्वाचित सदस्य और द्वितीय क्षेणी के तीन निर्देशकों को नये नोटिस

जारी किये जाने का निर्देश दिया गया। तदुसार रिट याचिका निस्तारित की गई। इसके बाद अपीलकर्ता उच्च न्यायालय गये और संविधान अनुच्छेद 134 (1) के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपील दाखिल की गई।

अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह रहा कि वित्तीय संस्थानों के नामांकित सदस्य और सहयोजित सदस्य नोटिस पाने के हकदार नहीं हैं।

अपील खारिज की गई। (बहुमत से बी.सी. रे और कुलदीप सिंह जेजे द्वारा)।

अभिनिर्धारित-(बी.सी. रे, जे.... अनुसार)

विशेष बैठक में भाग लेने और ऐसी बैठक में वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधि से उत्पन्न होता है। इसका लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है। (501 ई)

“ समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार” शब्द, सदस्य के समिति की प्रत्येक बैठक में बैठने और वोट देने के लिए नहीं है बल्कि समिति की किसी बैठक में बैठने व मतदान के लिए है। धारा 27 में प्रावधानित एकमात्र अवरोध यह है कि वित्तीय संस्थानों के निदेशक प्रतिनिधी और विशेषज्ञ निदेशक (सहयोजित) सदस्य, समिति के

सदस्यों के चुनाव में भाग लेने में सक्षम नहीं है। (501 ई-एफ)

निदेशकों के किसी बैठक में भाग लेने के अधिकार में निदेशक मंडल की या समाज की प्रबंधक समिति की विशेष बैठक में भाग लेने का अधिकार शामिल है। (501 जी)

प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा आयोजित अपेक्षित मीटिंग आयोजित नहीं की जा सकती क्योंकि उपविधि नम्बर-29 के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत निदेशक मण्डल में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ निदेशक (सहयोजित) पर विशेष बैठक के अपेक्षित नोटिस की तामिल नहीं हुई। (502 बी-सी)

(आर.एम सहाय, जे.-असहमत)

धारा 73 डी की उप-धारा (प) वह तरीका प्रावधानित करती है जिसके अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो चुनाव के आधार पर ऐसा पद धारण करते हैं, को निरस्त किया जा सकता है। उक्त धारा समिति के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से, जो उस समय बैठने व मतदान करने के हकदार हैं, द्वारा निष्कासन का भी प्रावधान करती है। इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने एवं हटाने का अधिकार केवल सीमित वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। (504 ई-एफ)

अभिव्यक्ति बैठक में भाग लेने और मतदान करने का शाब्दिक निर्माण, यदि इसका परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारता है या तर्क के विरुद्ध है और सरकार या वित्तीय संस्थाओं के नामांकित द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को इससे हटाने का खतरा है तो इससे बचना होगा। (504 एच; 505 ए)

मतदान चुनाव की अनिवार्य शर्त है और नियम 57-ए के उपनियम (7) के खंड (प) के अन्तर्गत अध्यक्ष बनाये रखने का निर्णय मतदान और ऐसे अधिकार से ही प्राप्त है। चुनावी सभा में वोट देने के लिए प्रत्याशियों का कोई अस्तित्व नहीं है। धारा 73 आईडी में प्रयुक्त 'बैठने और मतदान करने का हकदार' ऐसे सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखकर पढ़ा जाएगा। (505 ई-एफ)

प्रावधान का ऐसे पढ़ा जाना ना केवल अधिक तार्किक होने के कारण बल्कि धारा 27 की उपधारा 9, धारा 73 आईडी और उपविधि 29 के संयुक्त पठन के आधार पर आवश्यक है। (505 एफ)

जमुना प्रसाद मुखरिया एवं अन्य बनाम लच्छी राम एवं अन्य,  
(1955) 1 एससीआर 608 एट 610- संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4676 और  
4793/1989

उच्च न्यायालय बॉम्बे, 1989 की डब्ल्यू.पी. नम्बर 3976 के निर्णय और आदेश दिनांक 26.10.89 से।

पीसी जैन, एसएस रे, बीए मंसोडकर, मनोज स्वरूप, पीएच पारेख, जेएच पारेख, सुनील डोगरा, एएम खानविलकर, वीडी खन्ना और एस बास्मे, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिये गये:

रे, जे. यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 1989 को रिट पिटीशन नम्बर 3976/1989 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत एक अपील है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को निर्वाचित सदस्य और 3 व्यक्तियों, जिनमें वित्तीय संस्थानों के 2 नामित व्यक्तियों को तथा विशेषज्ञ सहयोजित सदस्यों को नए सिरे से नोटिस देने का निर्देश दिया गया।

मामले का सार यह है कि अपीलकर्ता जो संजय सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड के विधिवत निर्वाचित निदेशक हैं, जिन्हें इसके बाद "कारखाना" कहा जाएगा, ने एक मांग पर हस्ताक्षर किए और इसे प्रतिवादी नंबर 3, चीनी के संयुक्त निदेशक, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र राज्य, पुणे को भेजा और उन्हें समिति के अध्यक्ष, दत्तात्रेय वामन

पाटिल, प्रत्यर्थी संख्या-1 के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कारखाना समिति की एक विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया। इस मांग पर महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (महाराष्ट्र अधिनियम संख्या-24/1961) की धारा 73 आईडी के खंड (2) के प्रावधान के अनुसार समिति के कुल सदस्यों में से 1/3 से अधिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उपरोक्त मांग प्रत्यर्थी संख्या-3, चीनी के संयुक्त निदेशक और संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र राज्य, पुणे के कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

दिनांक 6.9.1989 को प्रत्यर्थी संख्या-3 ने 13 सितंबर 1989 को एक नोटिस जारी कर कारखाना की प्रबंध समिति यानी कारखाना के निदेशक मंडल की विशेष बैठक दिनांक 25 सितंबर 1989 बैठक बुलाई गई। यह नोटिस अधिनियम की धारा 73 आईडी के खंड (3) के अनुसार जारी किया गया था। यह नोटिस कारखाना समिति के उन सभी सदस्यों को भेजा गया था जो उस समय समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार थे यानी उक्त प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्य। नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रार, चीनी उप निदेशक, औरंगबाब (पीठासीन अधिकारी) के कार्यालय को भेजी गई थी। इस नोटिस की एक प्रति कारखाना के प्रबंध निदेशक के कार्यालय को भी भेजी गई थी क्योंकि इस नोटिस के माध्यम से, प्रबंध निदेशक को समिति की बैठक की मिनट बुक तैयार करने और

उसे विशेष बैठक की शुरुआत में पीठासीन अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 18.9.1989 को प्रत्यर्थी नंबर-1 द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1989 की रिट याचिका संख्या 3976 दायर की, जिसमें 10 अपीलकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 5.9.1989 की मांग नोटिस को चुनौती दी गई, जो प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य हैं और साथ ही नोटिस दिनांक 13.9.1989 प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर जारी किया गया है कि कारखाना के नियमों और उपविधियों के साथ पठित अधिनियम की योजना के तहत, वित्तीय संस्थानों के सहयोजित सदस्य और नामांकित व्यक्ति जो कारखाना के निदेशक मंडल के सदस्य हैं और विशेष बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं जबकि समिति अधिनियम की धारा 73 आईडी के तहत अविश्वास मत पर विचार करती है, तो उन्हें विशेष बैठक में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए मांग के उक्त नोटिस दिए जाने की आवश्यकता होती है। उक्त रिट याचिका दिनांक 26.10.1989 को बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सुनी गई। सोसायटी के उपनियमों के नियम 57ए और उपविधि संख्या 29 के साथ पठित धारा 73 आईडी के प्रावधानों पर विचार करने पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि दूसरी श्रेणी के 3 सदस्य जिन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बैठक को छोड़कर,



किसी बैठक में वोट देने का सीमित अधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेष बैठक के नोटिस प्राप्त करने और उक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है और जैसा कि वित्तीय संस्थानों के दो नामांकित व्यक्तियों और विशेषज्ञ सहयोजित सदस्यों को उक्त मांग बैठक के नोटिस तामिल नहीं करवाये गये तो मांग बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा बैठक बुलाने के लिए जारी किए गए नोटिस को रद्द करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार, प्रत्यर्थी संख्या-3 को निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ दूसरी श्रेणी के 3 निदेशकों को बैठक आयोजित करने से पहले नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिये। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को नए अनुबंधों में प्रवेश करने और साथ ही कारखाने की ओर से कोई नई प्रतिबद्धता देने से रोक दिया।

अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 3976/1989 में उच्च न्यायालय, बॉम्बे द्वारा पारित 26 अक्टूबर 1989 के निर्णय और आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.10.89 द्वारा अपील का प्रमाण पत्र प्रदान किया। निम्नलिखित प्रश्नों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 134(1) के तहत इस न्यायालय में अपील के लिए:

“क्या वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्ति और उपनियम 29 के तहत समिति द्वारा सहयोजित विशेषज्ञ को अभिव्यक्ति

के भीतर शामिल किया गया है समिति के सदस्य जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं? "

उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों, जिन्हें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ विशेष सहकारी सोसायटी के प्रासंगिक उपविधियों पर विचार करना उचित है।

कारखाना महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित एक सहकारी समिति है। धारा 2(7) समिति को प्रबंधन समिति या निदेशक मंडल या किसी भी नाम से ज्ञात अन्य निदेशक निकाय के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें समिति के मामलों का प्रबंधन उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत निहित है।

धारा 27 जो सदस्यों की मतदान शक्तियों से संबंधित है, उपधारा '9' में प्रावधान है कि किसी भी सोसायटी में सरकार या किसी समिति की किसी वित्तीय बैंक का कोई भी नामित व्यक्ति उसकी समिति के किसी भी चुनाव में मतदान करने का हकदार नहीं होगा। धारा 73 में कहा गया है कि प्रत्येक सोसायटी का प्रबंधन इस अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के अनुसार गठित एक समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और

उपविधियों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं। इसलिए, प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबंधन प्रबंधन समिति या उसके लिए समिति के निदेशक मंडल में निहित है। धारा 73 आईडी जो उक्त प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है, नीचे उद्धृत की गई है:

73-आईडी "(1) एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, चाहे वह किसी भी पदनाम का हो, जो पद धारण करता हो यदि समिति की बैठक में समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत से, जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस पद पर उसके चुनाव के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नहीं रहेगा, और ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके बाद रिक्त माना जाएगा।

(2) ऐसी विशेष बैठक की मांग समिति के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उस समय समिति की किसी भी बैठक में

बैठने और मतदान करने के हकदार हैं और इसे रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाएगा। मांग ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि, किसी विशेष बैठक के लिए ऐसी कोई मांग उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं की जाएगी, जिस दिन उपधारा (1) अनुसार उसके कार्यालय में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) रजिस्ट्रार, उपधारा (2) के तहत मांग प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, समिति की एक विशेष बैठक बुलाएगा। बैठक की सूचना जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। "

नियम 57 ए-सोसाइटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव--

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, या समिति के अन्य अधिकारी, जो भी पदनाम कहा जाता है, जो उस पद पर अपने चुनाव के आधार पर पद धारण करता है, के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समाज की समिति की विशेष बैठक बुलाने की मांग, जो फॉर्म एम-18 में बनायी जाएगी।

मांगपत्र के साथ संलग्न होना चाहिए--

(ए) अविश्वास का आधार,

(बी) पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का पाठ,

(सी) समिति के सदस्यों के नाम जो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे,

(डी) समिति के सदस्यों की एक सूची जिसमें उनके पूरे नाम और पते को निर्दिष्ट किया गया है, जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं,

(ई) समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर जो सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किये जाएंगे।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मांग व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार को सौंपी जाएगी। ऐसी मांग या मांगों प्रत्येक मामले में दो प्रतियों में वितरित की जाएंगी। रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने पर कि मांग या मांग, जैसा भी मामला हो, पर समिति के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं।

(ए) दिनांक और समय के साथ उसके हस्ताक्षर के तहत मांग प्राप्त करें और स्वीकार करें,

(बी) मांग प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, उस उद्देश्य के लिए विशेष बैठक बुलाने का नोटिस जारी करें, जिसमें उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी का स्थान, तारीख, समय, नाम और

पदनाम निर्दिष्ट हो। समिति के सदस्य, पीठासीन अधिकारी और प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंधक, वेतनभोगी सचिव, समूह सचिव या सोसायटी के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें रजिस्ट्रार ने सोसायटी की समिति की बैठकों की मिनट बुक तैयार करने का निर्देश दिया है। अविश्वास का यह नोटिस उस अधिकारी या पदाधिकारियों को भी जारी किया जाएगा, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। और संलग्नक और एजेंडे के साथ मांग की प्रति संलग्न की जाएगी।

(5) बैठक का समय प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय समय के बीच होगा। बैठक या तो रजिस्ट्रार के कार्यालय में या बैठक की अध्यक्षता करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

(6) प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई अन्य विषय एजेंडे में नहीं रखा जाएगा।

(7 डी) रजिस्ट्रार या बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत अधिकारी, उसकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों, सोसायटी के अधिकारी जिसने मिनट बुक तैयार की है, अधिकारी को छोड़कर किसी

अन्य व्यक्ति को बैठक के स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। या वे अधिकारी जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, समिति के सदस्य जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं, जो बैठक शुरू होने पर उपस्थित होते हैं और पुलिस अधिकारी या अधिकारियों को यदि उसके द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाता है।

उपविधि संख्या 29.

निदेशक मंडल:

ए. xxxxxx

बी. xxxxxx

से

ई. xxxxxx

(एफ) "प्रबंध निदेशक, और उप-खंड में प्रतिनिधि (डी) और (ई) (सहयोगी तकनीकी निदेशक) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त उप-खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रतिनिधि और उप-खंड (ई) और प्रबंध निदेशक) के प्रावधानों के अनुसार सहयोजित तकनीकी विशेषज्ञ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक में मतदान करने

के हकदार नहीं होंगे। राज्य सरकार का प्रतिनिधि बोर्ड की किसी भी बैठक में किसी भी विषय पर वोट देने की हकदार नहीं होगी, लेकिन उसकी राय मिनट बुक में दर्ज की जाएगी। वह बोर्ड के कुप्रबंधन और लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। बोर्ड के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण कारखाने को हुई किसी भी हानि के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि धारा 27 की उपधारा '9' किसी भी सोसायटी के सरकारी नामित व्यक्ति या किसी भी फाइनेंसिंग बैंक के नामित व्यक्ति को सोसायटी की समिति के किसी भी चुनाव में मतदान करने से रोकती है और निर्वाचित निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशक सोसायटी की प्रबंध समिति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं और ऐसे चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि धारा 73 आईडी क्लॉज (ए) के तहत सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सोसायटी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में केवल वे सदस्य ही शामिल होंगे जो फिलहाल के लिए, समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने का हकदार होने के नाते, वह उक्त बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जैसे ही सोसायटी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव



समिति के ऐसे सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है जो फिलहाल अध्यक्ष आदि के पद पर बैठने और मतदान करने के हकदार हैं को रिक्त माना जाएगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि समिति की किसी भी बैठक में शब्द प्रबंध समिति या निदेशक मंडल की सभी बैठकों को संदर्भित माना जाएगा। वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्ति और सहयोजित विशेषज्ञ, सहयोजित तकनीकी निदेशक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं हैं और निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की बैठक में मतदान नहीं करने के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के उद्देश्य से बुलाई गई विशेष बैठक में बैठने और मतदान करने का अधिकार नहीं है। निदेशक. इस संबंध में यह भी तर्क दिया गया है कि प्रबंध समिति या निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति के निर्वाचित निदेशकों द्वारा किया जाता है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है कि अध्यक्ष को उसके निर्वाचित कार्यालय से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को निदेशक मंडल के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं जो वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ नामांकित (सहयोजित) हैं।

श्री एसएस रे, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दूसरी ओर मुद्दों में शामिल हो गए और प्रस्तुत किया कि सभापति के

विरुद्ध अविश्वास पर विचार के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में भाग लेने का अधिकार है कानून के प्रावधानों से प्राप्त एक वैधानिक अधिकार है। यह अधिकार धारा 73 आईडी सपठित नियम 57 ए खंड 2(बी) सपठित खंड 7(डी) के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, अर्थात् "समिति के सदस्य जो फिलहाल किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। यद्यपि धारा 27 उपधारा 9 में कहा गया है कि सरकार या वित्तपोषक बैंक या किसी सोसायटी का कोई भी नामित व्यक्ति उसकी समिति के किसी भी चुनाव में वोट देने का हकदार नहीं होगा। इसका केवल यह अर्थ और संकेत है कि सरकार के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के नामित व्यक्ति सोसायटी की चुनावी बैठक में भाग लेने और ऐसी बैठक में अपना वोट डालने के हकदार नहीं हैं। सोसायटी की उपविधियों के उपनियम 29 में प्रावधान है कि कारखाने के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क्रम	विवरण	सदस्यों की संख्या	
1.	विधि क्रमांक 29(ए) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	निर्वाचित निर्माता	11
2.	विधि क्रमांक 29(बी) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	समाज द्वारा निर्वाचित	1
3.	विधि क्रमांक 29(सी) के अंतर्गत	प्रबंध निदेशक, पदेन	1

	आने वाले सदस्य		
4.	विधि क्रमांक 29(डी)(1) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	वित्तपोषण एजेंसी के प्रतिनिधि	1
5.	विधि क्रमांक 29(डी)(2) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	भारतीय वित्त निगम, एल.आई.सी. आई.डी.बी.आई. आदि के प्रतिनिधि  (दो से अधिक नहीं)  केवल वर्तमान मामले में।	1
6.	विधि क्रमांक 29(डी)(3) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	आई.सी.आई.सी.आई. के प्रतिनिधि (एक)  वर्तमान मामले में।	0
7.	विधि क्रमांक 29(डी)(4) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामांकित	1
8.	विधि क्रमांक 29(ई) के अंतर्गत आने वाले सदस्य	नामांकित विशेषज्ञ	1
9.	विधि क्रमांक 29(जी) सपठित धारा	एस.सी./ए.टी.	एवं 2

	73 बी धारा के	कमजोर वर्ग से निर्वाचित	
कुल			19

उपविधि संख्या 29 के प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि बोर्ड की किसी भी बैठक में किसी भी विषय पर वोट देने का हकदार नहीं होगा, लेकिन उसकी राय मिनट बुक में दर्ज की जा सकेगी। अब तक उपविधि संख्या 29 में खंड डी(प) और (डी)(पप) में उल्लिखित प्रतिनिधि, अर्थात् वित्तपोषण संस्थानों के प्रतिनिधि के साथ-साथ इसके अंतर्गत आने वाले विशेषज्ञ नामित (सहयोजित) भी शामिल हैं। उपनियम 29(ई) के तहत विशेष बैठक में भाग लेने और ऐसी बैठक में अपना वोट डालने का भी अधिकार है। यह स्थिति होने के कारण, यह सोसायटी के अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ है कि उप-कानून 29 (डी) (प) और (पप) के तहत आने वाले सदस्यों के साथ-साथ विशेषज्ञ नामांकित व्यक्ति (सहयोजित) उपविधि 29(ई) के अंतर्गत अध्यक्ष, निदेशक मंडल अथवा प्रबंध समिति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में बैठने एवं मतदान करने के हकदार नहीं हैं। यह व्याख्या पूरी तरह से अभिव्यक्ति के स्पष्ट अर्थ के विपरीत होगी, अर्थात् वे सदस्य जो समिति की किसी भी बैठक में बैठने

और मतदान करने के हकदार हैं। विशेष बैठक में भाग लेने के साथ-साथ ऐसी बैठक के लिए मतदान करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और यह सोसायटी के अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधान से आता है। इसका लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है। शब्द "सोसायटी की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने का हकदार " शब्द सदस्य को हर बैठक में नहीं बल्कि सोसायटी की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के लिए संदर्भित करते हैं। धारा 27 में प्रदान की गई एकमात्र स्पष्ट बाधा यह है कि सदस्य, अर्थात्, वित्तीय संस्थानों के निदेशक प्रतिनिधि और साथ ही विशेषज्ञ निदेशक (सहयोजित) केवल सोसायटी के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। उक्त निदेशकों को निदेशक मंडल या सोसायटी की प्रबंध समिति की विशेष बैठक सहित किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है।

जमुना प्रसाद मुखरिया और अन्य बनाम लच्छी राम और का उल्लेख करना उचित है।

(1955) वॉल्यूम। 1 एससीआर 608, 610 पर यह देखा गया है:

"उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और चुनाव लड़ने का अधिकार एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है। यह कानून द्वारा बनाया गया एक विशेष अधिकार है और इसका प्रयोग केवल कानून द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जा सकता है।

कानून द्वारा बनाये गये ऐसे अधिकार का मौलिक अधिकार अध्याय से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलकर्ताओं को संसद सदस्य चुने जाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यदि वे चाहते हैं कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा।”

हमने अपने विद्वान भाई, माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएम सहाय द्वारा दिए गए निर्णय का अध्ययन किया है, हालाँकि, हम अपने विद्वान भाई द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और उसमें आए निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि जो मांग बैठक बुलाई गई है, उसे उपविधि संख्या-29 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विशेषज्ञ निदेशक (सहयोजित) को उक्त मांग बैठक के नोटिस की तामिल नहीं होने के कारण उक्त मांग नोटिस के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक को आयोजित नहीं किया जा सकता है। विशेष बैठक बुलाने का विवादित नोटिस पूरी तरह से अवैध और अनुचित है। इसके अलावा, जैसा कि हमने यहां पहले पाया है कि वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों के साथ-साथ विशेषज्ञ नामांकित व्यक्ति (सहयोजित) समिति की विशेष बैठक में भाग लेने और उसी बैठक में मतदान करने के भी हकदार हैं। अविश्वास

प्रस्ताव, उपरोक्त निदेशकों को उक्त बैठक के नोटिस की गैर-सेवा, उक्त विशेष बैठक को अवैध बनाती है क्योंकि उक्त अधिनियम के प्रावधानों, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी नियम 1961 के नियम 57 ए और समिति की उपविधि 29 डी(प) और (पप) और 29 ई का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, हम अपील को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को अनुमति देते हैं। अपीलकर्ता 5000 रुपये की मात्रा में प्रत्यर्थियों को लागत का भुगतान करेंगे।

आरएम सहाय, जे. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्देशित इस अपील में विचार के लिए कानून का संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि क्या वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्ति और सहयोजित तकनीकी निदेशक, जो हकदार नहीं है, अन्तर्गत संजय सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड की उपविधि 29 (इसके बाद इसे ' ) को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (संक्षिप्तता 'अधिनियम' के लिए) के तहत या तो सोसायटी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है या अपने चुनाव में वोट देने वाले अधिनियम की धारा 73 आईडी के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए अपेक्षित विशेष बैठक में भाग लेने के हकदार हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के

लिए एक विशेष बैठक की मांग का प्रस्ताव, बोर्ड के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, नियम 57-ए के अनुसार रजिस्ट्रार को एक ऐसे सदस्यों की सूची के साथ सौंपा गया था, जो बैठने और मतदान करने के हकदार थे। इस पर नोटिस केवल निर्वाचित सदस्यों को नियम 57-ए के उप-नियम (2) के खंड (बी) के तहत जारी किए गए थे। नियम 57-ए का उल्लंघन होने के कारण इसकी वैधता और परिणामी कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रार को बोर्ड के सभी सदस्यों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्ति समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं, प्रभावी और सार्थक चर्चा के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी, भले ही वे बैठने और वोट देने के हकदार नहीं थे। कई अन्य आपत्तियां उठाई गईं. लेकिन उच्च न्यायालय ने वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्तियों और बोर्ड द्वारा सहयोजित विशेषज्ञ को नोटिस जारी न करने से संबंधित मामले को छोड़कर किसी में भी योग्यता नहीं पाई। इसका कारण अधिनियम की धारा 731डी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का व्यापक निर्माण था जो कि "समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के लिए फिलहाल हकदार हैं" उच्च न्यायालय ने पाया कि भले ही इसे प्रतिबंधित करना अधिक तर्कसंगत होता। ऐसा अधिकार अकेले उन लोगों के लिए है जो चुनाव करने के हकदार थे, फिर भी इसने अभिव्यक्ति के दायरे को व्यापक बना दिया क्योंकि यदि इसके दो अर्थ संभव थे तो



उस अर्थ को स्वीकार किया जाना चाहिए जो वोट देने के अधिकार को सीमित करने के बजाय विस्तारित करता है। इसमें यह भी पाया गया कि किसी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार चूंकि अविश्वास सोसायटी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इसे उन नामांकित सदस्यों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जिनके पास किसी बैठक में वोट देने का अधिकार था।

सोसायटी द्वारा बनाई गई उपविधि 29 जो निर्वाचित, पदेन, प्रतिनिधियों और सहयोजित सदस्यों से युक्त निदेशक मंडल का गठन करता है। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने या यहां तक कि ऐसे चुनाव की बैठक में मतदान करने का अधिकार खंड (एफ) द्वारा निर्वाचित सदस्यों तक ही सीमित कर दिया गया है, जो नीचे दिया गया है:

“प्रबंध निदेशक, और (उप-खंड में प्रतिनिधि) (डी) और (ई) (सहयोजित तकनीकी निदेशक) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त उप-खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञ निदेशकों को उपखण्ड (ई) के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंध निदेशक को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार का प्रतिनिधि बोर्ड की किसी भी बैठक में किसी भी विषय पर

वोट देने का हकदार नहीं होगा। लेकिन उनकी राय मिनट बुक में दर्ज किया जाएगा। वह बोर्ड के कुप्रबंधन और लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा बोर्ड के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण कारखाना को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।”

सवाल यह है कि यह बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास की बैठक में भाग लेने के अधिकार को कैसे दर्शाता है? इस प्रयोजन के लिए धारा 73 आईडी की उप-धारा (1) के निष्कर्ष को निकालना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

“एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, चाहे वह किसी भी पद का हो, जो उस पद पर अपने चुनाव के आधार पर पद धारण करता है, वह ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नहीं रहेगा, यदि अविश्वास प्रस्ताव को समिति की बैठक में समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, जो उस समय समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के

हकदार होते हैं और ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके बाद रिक्त माना जाएगा।”

यह उपधारा उस तरीके का प्रावधान करती है जिसके तहत कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो अपने चुनाव के आधार पर ऐसा पद धारण करता है, उस पद को धारण करना बंद कर सकता है। यह समिति के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसे निष्कासन की विधि भी प्रदान करता है, जो फिलहाल समिति की किसी भी बैठक में बैठने और मतदान करने के हकदार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने और चुनने का अधिकार केवल सीमित वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित है। वे कौन हैं?

लोकतंत्र में चुनावों की कल्पना गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ और राजनीतिक रूप से मूल्यवान सर्वोत्तम को चुनने के एक साधन के रूप में की गई है। चयन को उलटने का अधिकार किसे होना चाहिए? जो लोग चुनाव करते हैं या किसी पद्धति या कानून द्वारा किसी अन्य संख्या में प्रतिनिधियों और नामांकितों को जोड़ते हैं, वे चयन में भाग लेने के हकदार नहीं होते हैं। यदि निर्वाचित प्रक्रिया के मूल्य को प्रधानता दी जानी है तो पसंद के योग्य लोगों को उन लोगों द्वारा निचोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो नेतृत्व या नेता का चुनाव करने से वंचित हैं। इस मूल

अवधारणा को अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान द्वारा परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। 'बैठने और वोट देने का अधिकार' अभिव्यक्ति का शाब्दिक निर्माण यदि इसका परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारता है या तर्क के विरुद्ध है और वित्तीय संस्थानों या सरकार के नामांकित व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के खतरे से भरा है तो इससे बचना होगा ।

“वैधानिक अधिकार की ओर लौटते हुए अधिनियम की योजना इस निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती है कि ऐसे सदस्य धारा 73 आईडी के तहत अपेक्षित बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। धारा 27 की उपधारा (9) इस प्रकार है: “किसी भी सोसायटी में सरकार या किसी वित्तपोषण बैंक का कोई भी नामित व्यक्ति उसकी समिति के किसी भी चुनाव में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।”

यह स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से वित्तीय संस्थानों के नामांकित व्यक्तियों या सरकारी प्रतिनिधियों को किसी भी चुनावी बैठक में वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। इसलिए, ऐसे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव में मतदान करने से रोकने वाले उप-कानून के प्रावधानों की व्याख्या ऐसे प्रतिनिधियों को अन्य चुनाव बैठक में मतदान करने की अनुमति देने के रूप में नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके

परिणामस्वरूप उप-कानून अमान्य हो सकता है। भले ही ऐसे 'सदस्यों को चुनावी बैठकों के अलावा कुछ बैठकों में मतदान करने का अधिकार है या उन्हें अपनी राय दर्ज करने का अधिकार है, यह उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं देता है या अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विश्वास मत का नोटिस भी नहीं दिया जाता है जो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की प्रकृति के रूप में चुनावी बैठक की सामग्री और प्रभाव दोनों रखती है। मतदान करना चुनाव की अनिवार्य शर्त है और नियम 57-ए के उप-नियम (7) के खंड (प) के तहत, अध्यक्ष को बनाए रखने का निर्णय मतदान द्वारा किया जाता है और ऐसा अधिकार, अर्थात् चुनाव बैठक में वोट देने का अधिकार है। वित्तीय संस्थानों या सरकार के नामांकित व्यक्तियों में धारा 73 आईडी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "बैठने और मतदान करने का हकदार को ऐसे सदस्यों को इसके दायरे से बाहर करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। प्रावधान को इस तरह पढ़ना न केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अधिक तार्किक है, बल्कि यह धारा 27 की उप-धारा (9), धारा 73 आईडी और उप-कानून 29 के संयुक्त पढ़ने का परिणाम भी है।

इन कारणों से, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। हाई कोर्ट में दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। लेकिन खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वाई लाल

अपील बर्खास्त

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीतू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।